अंक ६८

नई दिल्ली, अक्टूबर २०१५

[निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

श्री जयदीप प्रसाद

श्री जयदीप प्रसाद, आई.जी. पुलिस (मध्य प्रदेश कैडर) एंव तत्कालीन निदेशक, अनुसंधान, पुलिस अनुसंधान एंव विकास ब्यूरो से पुलिस के कार्य–निष्पादन और संभावित सूचकों तथा संबंधित विषयों पर ज़ीनत मलिक द्वारा किये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार के महत्वपूर्ण भागों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

सर, क्या पुलिस के कार्यों को मापने के लिए कोई ऐसे कार्य–निष्पादक सूचक बनाये गये हैं जो सभी राज्यों द्वारा मान्य हैं?

जहां तक पुलिस के कार्य–निष्पादन सूचक की बात है, इस पर कई राज्यों की पुलिस ने अपने स्तर पर काम किया है और लगातार कर रहे हैं। लेकिन, अभी तक पुलिस के विभिन्न प्रकार के कार्यों को मापने के लिए एक ऐसा मानक केन्द्र स्तर पर नहीं बन पाया है जिसे सभी राज्यों द्वारा अपनाये जाने के लिए भेजा जा सके। सम्भवतः कुछ समय पश्चात् ऐसे मानक बन सकते हैं। अभी बी.पी.आर.एन्ड डी. में भी इस पर काम चल रहा है।

पुलिस के सामान्य दायित्वों में किस प्रकार के कार्य–निष्पादन सूचक हो सकते हैं?

अधिकतर आम लोगों की सबसे बड़ी शिकायत यह होती है कि उनकी शिकायत पुलिस नहीं सुनती है, एफ.आई.आर. नहीं दर्ज करती है। तो, सबसे पहला इंडिकेटर होगा कि एफ.आई.आर. रजिस्टर हो रहा है कि नहीं? यह उत्तर 'हाँ' या 'न' में आ सकता है। दूसरा इंडिकेटर यह हो सकता है कि यदि एफ.आई.आर. दर्ज हो चुका है तो उसका समय पर निराकरण हो रहा है कि नहीं। समय की पाबंदी है कि नहीं यह एक बहुत बड़ा सूचक हो सकता है।

तीसरा, पुलिस और पब्लिक के बीच कैसा संबंध हैं? हालांकि, यह सभी बहुत गुणात्मक सूचक है फिर भी कुछ बिन्दुओं पर इसे मापा जा सकता है। जैसे :– महिलाएं किस समय थाने जाना चाहती हैं। महिलाओं को थाने जाने में डर नहीं लगता और उन्हें यह विश्वास है कि यदि वह थाने जाएंगी तो समस्या का निराकरण होगा। इस पर भी जवाब लिये जा सकते हैं और यदि महिलाएं किसी भी समय थाने में जाने से डरती नहीं हैं तो यह समझा जा सकता है कि पुलिस ने महिलाओं का विश्वास जीत लिया है। जैसे : मैं चूँकि मध्य प्रदेश कैडर से हूँ और बी.पी.आर.एन्ड डी. में आने के पूर्व कई ज़िलों में अधिक्षक रह चुका हूँ और उसी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि वहां महिलाओं में पुलिस का कोई भय नहीं है बल्कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी समय थाने आने में झिझकती नहीं हैं, और यह एक बहुत बड़ा सूचक है।

यह तो अपराध से जुड़ी बातें हैं इसके अलावा कानून–व्यवस्था की स्थिति में पुलिस से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, इसको भी कुछ पैमानों पर मापा जा सकता है। हालांकि, कानून–व्यवस्था बहुत वृहद विषय है और इसमें बहुत कुछ सम्मिलित होता है। यदि किसी शहर में बार–बार दंगे हो रहे हैं तो, इसमें माना जाएगा कि पुलिस कानून–व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है। हालांकि यह स्थिती हर स्थान पर एक समान नहीं होगा। कई स्थानों पर सामुदायिक हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जोकि अधिकतर तत्कालिक कारणों से उत्पन्न होती है, वहां यह देखा जाएगा कि पुलिस निष्पक्षता से दोनों समुदायों के लोगों से बर्ताव कर रही है कि नहीं। पुलिस दोबारा ऐसी घटनाओं को उत्पन्न नहीं होने दे पुलिस से यही अपेक्षा की जाती है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं। क्योंकि, यदि कानून–व्यवस्था की स्थिति ठीक रहती है तो लोगों के मन में शांति रहती है वे अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। वहीं, यदि बात–बात पर और लगातार किसी समुदाय या समूह के लोगों में झगड़ा होता रहता है तो इसका अर्थ है कि जनता में अनुशासन के प्रति कोई आदर नहीं और पुलिस झगड़े को सुलझाने में असक्षम है। इसका मतलब यह भी हुआ कि पुलिस को जो निरोधात्मक कार्यवाही करनी चाहिए थी वह उसे प्रभावपूर्ण रूप से कर नहीं पाई है जिसके कारण बात–बात पर झगड़ा हो जाता है। पुलिस के कार्य–निष्पादन सूचक के रूप में कानून–व्यवस्था की स्थिति का कम से कम उत्पन्न होना बहुत साकारात्मक इंडिकेटर माना जाता है।

उसके बाद ट्रैफिक संचालन को भी कार्य–निष्पादन सूचक के रूप में लिया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि शहर में घुसता है तो यदि ट्रैफिक सहज हो तो यह मालूम होता है कि पुलिस ने कुछ सुव्यवस्था लाने का प्रयत्न किया है। हालांकि, यह बहुत हद तक जनता पर भी निर्भर करता है कि वह ट्रैफिक नियमों के प्रति कितनी शिक्षित है। पुलिस ने इसके लिए क्या तैयारी की है। इसके अलावा ट्रैफिक के विनियमन के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाये हैं। ट्रैफिक में एक निश्चित दूरी को पूरा करने के लिए कितनी बार रुकना पड़ता है। यदि बगैर विलंब के सहजता से दूरी तय हो जाती है तो यह ट्रैफिक के संचालन के लिए साकारात्मक इंडिकेटर होगा। लोगों को चालान कितने देने पड़ रहे हैं तो प्रति हज़ार व्यक्ति पर इसका आकलन किया जा सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि क्या चालान देकर ही ट्रैफिक को सुचार रूप से चलाया जा रहा है।

क्या आपको कभी पुलिस और जनता के बीच के संबंधों को मापने के लिए कोई विशेष उपाय करने का अनुभव है?

यहां आने के पहले मैं एस.पी. भोपाल था और हर प्रकार की पुलिसिंग का अनुभव है। मध्य प्रदेश में हमने कई प्रकार से समुदाय के साथ पुलिस के संबंधों को बेहतर करने का प्रयत्न किया। जैसे कि बालाघाट में, जो एक नक्सल प्रभावी क्षेत्र है। मैं जब बालाघाट में एस.पी. था तो वहां आवागमन के लिए सड़कें नहीं थी, हमने वहां बुनियादी समस्याओं पर फोकस किया। एक नक्सलवादी ज़िले में उनके प्रभाव को कम करने और आम लोगों के जीवन में सामान्यतः लाने के लिए हमने एक बहुत बड़ी योजना बनाकर स्पेशल पैकेज के अतंर्गत भेजा। इसके अतंर्गत बहुत काम हुआ – रोड बनवाये गये, यह २००२ की बात है। आज वहां बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है जिसके कारण पुलिस की भी पहुँच बढ़ी, अन्य सरकारी अधिकारियों का आवागमन शुरू हुआ, इन सबके कारण नक्सलवादियों का प्रभाव बहुत कम हुआ है, ऐसा माना जाता है। यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर, जहां–जहां स्कूल नहीं थे वहां पुलिस और कलेक्टर की संयुक्त रिपोर्ट बनाकर भेजी गई। इस तरह पुलिस विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए उनके साथ मिलकर काम कर सकती है।

शहरी पुलिसिंग में हमने सामुदायिक पुलिसिंग के अतंर्गत इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर और उज्जैन में बहुत काम किया है।

इन सबको मापा कैसे जाए? पुलिस यदि अच्छा काम कर रही है और जनता भी कोई विशेष शिकायत नहीं कर रही है तब भी जनता के इस संतुष्टि के स्तर को कैसे मापा जा सकता है?

हालांकि, इस प्रकार मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती फिर भी जो इंडिकेटर हैं उनके अनुसार सर्वेक्षण और साक्षात्कार द्वारा पुलिस के काम को मापने के लिए जनता से पूछ सकते हैं, उनके क्या विचार हैं पुलिस के काम के बारे में यह पता लगाया जा सकता है। कुछ इंडिकेटर यह हो सकते हैं कि अपराध कितना हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों में इसकी संख्या क्या रही है। इन अपराधों में दोषसिद्धि कितने मामलों में हुई है। यदि हम दोशसिद्धि को इंडिकेटर समझें तो

शेष पृष्ठ २ पर....

बूझो और जीतो–४६

प्रिय पाठकों,

पिछले कुछ महीनों से *लोक पुलिस* को विषय विशिष्ट बना दिया गया है। इसके अनुसार ही अंक के सभी खण्डों में पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है। इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए, वर्तमान अंक "पुलिस के कार्य–निष्पादन" विषय पर केन्द्रित है। इस बार के प्रश्न इस विषय के अनुरूप ही पूछे जा रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है।

इस अंक के प्रश्न निम्नलिखित हैं :–

१. पुलिस को संज्ञय केसों की जांच का अधिकार किस प्रावधान के अंतर्गत प्राप्त है?

२. क्या पुलिस एक आरोपी से चोरी में शामिल अन्य व्यक्तियों का नाम बतलाने के लिए ईनाम देने का वादा कर सकती है?

३. क्या पुलिस किसी प्रेमी जोड़ी की, सड़क पर या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर आलिंगन करने पर पिटाई कर सकती है? यदि 'हाँ' तो, किस प्रावधान के अंतर्गत।

४. केस डायरी क्या होती है?

५. किसी आरोपी से पूछ–ताछ करने के लिए आरोपी को अधिकतम कितने दिनों के लिए थाने में रखने की आज्ञा होती है। संबंधित प्रावधान में क्या कहा गया है?

बूझो और जीतो – ४३ का परिणाम

जुलाई २०१५ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :–

१. सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा ३ के अनुसार सभी नागरिकों को सूचना मांगने का अधिकार है और यह सूचना प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा ५(१) के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव सहायक लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त किया गया है जिसका दायित्व है नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करना।

२. सूचना के अधिकार अधिनियम २००५ की धारा २(ज) के अनुसार अंतर्गत 'सूचना' सभी लोक प्राधिकरणों से मांगी जा सकती है। ऐसे सभी संस्थानों, निकायों से मांगी जा सकती है जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संसद द्वारा स्थापित हों या जिन्हें आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलता है।

३. उक्त कानून की धारा ७(१) के प्रतिबंध के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना, आवेदन प्राप्त होने के ४८ घंटों के भीतर प्रदान कर देनी चाहिए जहां यह जीवन और मृत्यु से संबंधित हो। इसलिए, यदि पुलिस किसी को बगैर गिरफ्तारी के सभा से उठाकर ले गई है तो उसके बारे में सूचना ४८ घण्टों के भीतर प्रदान कर देनी चाहिए।

४. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा ६(१) के अनुसार किसी लोक प्राधिकरण द्वारा आम तौर पर मांगी गई सूचना आवेदन प्राप्त होने के ३० दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

५. यदि मांगी गई सूचना निश्चित समय के भीतर नहीं भेजी जाती है तो इसे प्राधिकरण द्वारा देने से इंकार करना माना जाएगा और आवेदनकर्ता को अधिकार होगा कि वह इसके विरुद्ध राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत करे, इसी प्रकार ग़लत सूचना मिलने पर भी आवेदनकर्ता राज्य सूचना आयोग के समक्ष शिकायत कर सकता है।

विजेता :

इस बार बूझो और जीतो–४३ के लिए प्राप्त प्रविष्टियों में हमें किसी के भी सभी उत्तर सही नहीं प्राप्त हुए। इसलिए, इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका है।

ज़ीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१८०००, ४३१८०२२६
फैक्स: ९१ ११ २६८६४६८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

पुलिस को वीरता पदक - पात्रता नि:संदेह सुनिश्चित होना आवश्यक!

इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह पुलिस एंव अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वीरता एंव अन्य पदकों से सम्मानित किया गया। पदक वितरण की यह प्रथा, १ मार्च १९५१ की अधिसूचना सं. ३ प्रेज और ४ प्रेज तथा २००६ में संशोधित, *राष्ट्रपति का पुलिस पदक और पुलिस पदक से संबंधित संविधियां और नियमों* के अंतर्गत संचालित होती है।

इस वर्ष कुल ८२४ केन्द्रीय और राज्य बल के पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता एंव अन्य सेवाओं के लिए पदक दिया गया।

सर्वश्रेष्ठ सम्मान वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, पंजाब पुलिस के ३ पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया, जिनमें से एक गुरदासपुर हमले में मारे गये एस. पी. बलजीत सिंह हैं, तथा उनके साथी इंस्पेक्टर बलबीर सिंह एंव हेड कांस्टेबल तारा सिंह। इसके अलावा, मेघालय पुलिस के डी.सी.पी. टी.सी. चाको को भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया।

सी.आर.पी.एफ. को सर्वाधिक ६४ वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया, उन्हें अधिकतर यह पदक वामपंथी उग्रवादियों वाले राज्यों में उनके ऑपरेशनों के लिए प्रदान किया गया।

जिन पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया उसमें सम्मिलित हैं – झारखण्ड से १८, उत्तर प्रदेश से १५, झारखण्ड से १४, मेघालय से ८ एंव अन्य।

पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को वर्ष २०१५ में दिये गये विभिन्न प्रकार के पदक

- *वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (Presidents Police Medal for Gallantry-PPMG) – ४ पुलिसकर्मियों को।*
- *विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (Presidents Police Medal for distinguished service -PPMDS) – ७६ पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया।*
- *वीरता के लिए पुलिस पदक (Police Medal for Gallantry-PMG) – सी.आर.पी.एफ. को ६४*
- *सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (Police Medal for meritorious services-PMMS) – ५९५* पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया।

(सौजन्य : डी.एन.ए.न्यूज़ डॉट कॉम, १४ अगस्त २०१५)

किसी पुलिसकर्मी को पदक प्रदान किये जाने के लिए राज्य पुलिस द्वारा आगे बढ़ाया जाता है जिसे अंततः गृह मंत्रालय को भेजा जाता है। राष्ट्रपति सचिवालय से राष्ट्रपति का पुलिस पदक के अंतर्गत जारी अधिसूचना २ के अनुसार – सभी सिफ़ारिशों में संस्तुत व्यक्ति का नाम और रैंक जिस पुलिस बल या केन्द्रीय पुलिस यूनिट/सुरक्षा संगठन का वह सदस्य है या था उसका नाम और जो पदक मंजूर करने की सिफ़ारिश की गई है उसके लिए बहादुरी के कृत्यों का विवरण दिया जाएगा।

अधिसूचना ४ के अनुसार, पदक केवल उन्हें प्रदान किया जाएगा जिन्होंने भारत के भूभाग के अंदर पुलिसबलों और केन्द्रीय पुलिस/संगठनों में असधारण साहस और कौशल के कृत्य किए हैं या अनुकरणीय कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है।

लेकिन, व्यवहारिक स्तर पर ज़्यादातर पुलिसकर्मी के लिए पदक की पात्रता तब सुनिश्चित समझी जाती है जब कर्तव्य निष्पादन के दौरान आरोपी, संदिग्ध या अपराधी को धराशायी कर दिया गया हो। विशेषकर, पुलिस को वीरता के लिए दिया जाने वाला पदक उन्हें ऐसे ही मामलों में दिया जाता है जहां किसी न किसी की मृत्यु हुई हो। ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि क्या एनकाउंटर में हुई मौतों के मामलों में *राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग* द्वारा निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया और *पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरटीज़ व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य, कि.अ.न. १९९९ का १२५५* केस में दिये गये निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं।

पी.यू.सी.एल. के केस में उच्चतम न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ों में हुई मृत्यु के केसों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि :–

- *'यदि किसी सुराग या सूचना के कारण एनकाउंटर होता है और पुलिस पार्टी द्वारा गोली चलाई जाती है और इसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है, इसके बारे में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५७ के अंतर्गत उसे अदालत में भेजा जाएगा। संहिता की धारा १५८ के अंतर्गत रिपोर्ट भेजते समय, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५७ का अनुसरण किया जाएगा।*
- *वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में (एनकाउंटर में पुलिस पार्टी का नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी से कम से कम एक स्तर बड़ा अधिकारी), घटना/एनकाउंटर की सी.आई.डी. या दूसरे थाने की पुलिस टीम द्वारा स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। – मृतक के इंटैक्ट फिंगरप्रिंट्स को कैमिकल विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा, पोस्ट मार्टम दो डॉक्टरों द्वारा ज़िला अस्पताल में किया जाना चाहिए, पोस्ट-मार्टम की वीडियोग्राफ़ी होनी चाहिए और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए,*
- *संहिता की धारा १७६ के अंतर्गत हमेशा मृत्यु के सभी केसों में मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की जानी चाहिए जिसमें मृत्यु पुलिस फायरिंग के दौरान होती है और इसके अंतर्गत अधिकारक्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को धारा १९० के अंतर्गत रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।*

वीरता पदक दिये जाने वाले ऐसे सभी मामलों में जहां यह पदक किसी आरोपी, संदिग्ध या अपराधी के मृत्यु के बाद दिये गये हों वहां यह ध्यान देने की ज़रूरत इस तथ्य की जांच पर है कि यह वीरता पदक सभी प्रक्रियात्मक निर्देशों के पूर्ण होने पर और सभी जांचों में कानून के दायरे के भीतर रहकर प्रहार करना सुनिश्चित होने के बाद ही दिये जा रहे हों। ऐसा न हो कि इंक्वायरी जारी रहते ही, संबंधित अधिकारी को किसी प्रकार की पदोन्नति या पुरस्कार से सम्मानित कर दिया जाए। *पी.यू.सी.एल. के केस* में उच्चतम न्यायालय ने इसकी मनाही करते हुए कहा है कि :–

- *घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारी को कोई असमय पदोन्नति और वीरता पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। यह हर कीमत पर और आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे पुरस्कार केवल तब दिये जाएं/सिफ़ारिश की जाए जब संबंधित अधिकारी की वीरता नि:संदेह स्थापित होती है।*

पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों को वीरता पदक दिये जाने से पुलिसकर्मियों को कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा मिलती है। लेकिन, उसी प्रकार का सम्मान हर प्रकार की सराहनीय सेवाओं के लिए भी दिया जाना चाहिए जहां ड्यूटी की आवश्यकताओं से भी आगे बढ़कर यदि किसी पुलिसकर्मी ने किसी अपराध को रोकने का काम किया हो, किसी पुलिसकर्मी के काम के रिकॉर्ड में समयबद्ध जांच पूर्ण करने की अधिकांश संख्या सम्मिलित हो, बेशक उसके काम के रिकॉर्ड में किसी अपराधी को धराशायी करना सम्मिलित न हो। वीरता और तत्परता के लिए पुलिस पदक अधिक से अधिक पुलिसकर्मियों को मिलना चाहिए।

– प्रस्तुति : ज़ीनत मलिक

पृष्ठ २ का शेष....

यह कई और बातों की सूचक है कि पुलिस ने जांच भली–भांति किया है, सबूतों की समीक्षा और उचित उपयोग किया है। यदि अपराधों की संख्या पिछले वर्षों से कम हुई है तो यह इस बात का सूचक है कि अपराधियों में कानून का भय बना हुआ है।

पुलिस उचित निरोधात्मक कार्यवाही का उपयोग कितना कर रही है। इन प्रावधानों के अतंर्गत कितनी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और इससे कितने बड़े अपराधों को रोका जा सका है, यह भी बड़ा सूचक हो सकता है।

ए.पी.आर. या ऐनुअल प्रफॉरमेंस रिपोर्ट में व्यक्तिगत स्तर पर पुलिस के काम का किस प्रकार मूल्यांकन होता है?

हर व्यक्ति के काम की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई जाती है। इसमें यह पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति को साल भर में क्या टारगेट दिये गये, जो टारगेट दिये गये थे वह उसने पूरा किया या नहीं, इसमें उसे अड़चन तो नहीं आई। इसके आधार पर उसकी क्षमता का आकलन उसके निकटतम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह देखा जाता है कि व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया या नहीं। थाना प्रभारी के काम का मूल्यांकन डी.सी.पी. स्तर के अधिकारी करेंगे, फिर उसके बाद वह डी.आई.जी. एंव आई.जी. द्वारा डी.जी.पी. के पास पहुँचती है। इसी प्रकार थाना स्तर के कर्मचारियों की रिपोर्ट का मूल्यांकन थाना प्रभारी द्वारा होगा।

व्यक्तिगत पुलिसकर्मियों के काम का मूल्यांकन तो कहीं न कहीं हो रहा है जिसमें और सुधार भी किया जा सकता है। लेकिन, थाने के मूल्यांकन के लिए कोई निश्चित मानक नहीं हैं? थानों के मूल्यांकन के लिए क्या प्रबंध है?

नहीं, थानों के रिकॉड्स रखे जाते हैं और जब एस.पी., डी.सी.पी. अपने थानों की बैठक लेते हैं तो इसका मूल्यांकन स्थापित सूचकों के अनुसार किया जाता है – चोरी के सामान की उगाही, दोषसिद्धि, कानून–व्यवस्था में निरोधात्मक कार्यवाही, अपराधों पर नियंत्रण, की समीक्षा की जाती है। इसी के अनुसार, थानों की ग्रेडिंग की जाती है। कुछ स्थानों पर तो ज़िला स्तर पर थानों को पुरस्कृत भी किया जाता है। हर एस.पी. को ज़िला स्तर पर क्राईम मीटिंग करना होता है। लेकिन, यह कब और कितने अंतराल पर होगी इसका निर्णय एस.पी. को लेना होता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग बढ़ जाती है तो इस पर हमें अभियान चला होता है, क्योंकि इस पर जनता और मीडिया बहुत सक्रिय हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर किसी थाने ने चोरी के सामान की उगाही बहुत अधिक संख्या में की है तो उसके लिए भी उसे मान्यता दी जाती है। व्यक्गित पुलिसकर्मियों को भी सम्मान देने की प्रथा है थानों में, जैसे – जो बेस्ट टर्न आऊट वाला कांस्टेबल है किसी महीने में उसका नाम बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। तो पुलिस में अच्छे काम के लिए ईनाम देने का प्रचलन काफ़ी पुराना है।

क्या किसी पुलिस अधिकारी को वीरता पदक या कोई अन्य पदक देना व्यक्तिगत स्तर पर उसके कार्य–निष्पादन को मान्यता देने से बढ़कर अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणा श्रोत भी सिद्ध होता है?

किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ड्यूटी की आवश्यकताओं से बढ़कर यदि वीरता का कोई काम किया जाए तो उसे आवश्यक ही सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं, समझता हूँ कि यह अवश्य ही अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणास्रोत होता है।

लेकिन, यदि कोई अपनी जान जोखिम में डालकर कोई खतरा उठाकर बहुत बड़ा काम कर जाए और उसके उस प्रयत्न को पूरी तरह मान्यता न दी जाए तो उससे मनोबल गिरता भी है। २००२ अक्टूबर में हमने १० दिनों तक जंगल में कैंप करके नक्सलवादियों से किसी तरह ९–१० टन बारूद बरामद किया। इस दौरान हर समय जान का खतरा बना रहता था, वे कभी भी और कहीं से भी हमला कर सकते थे। इसमें दोनों ओर से गोली भी चली लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसके लिए राज्य की ओर से वीरता पदक के लिए सिफ़ारिश भी की गई थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया शायद इसलिए क्योंकि इस ऑपरेशन में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। हालांकि, हमें राज्य से सभी कुछ मिला–मुख्य मंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, राज्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मुख्यमंत्री का रिवॉल्वर भी प्राप्त हुआ। लेकिन, मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई ऐसा खतरा उठा कर इतने बड़ी उगाही करता है तो उसे, उस प्रयत्न के लिए वीरता पदक मिलना चाहिए क्योंकि, यदि वह नहीं चाहता तो इतने जोखिम भरे काम को नहीं

तथ्य एवं आंकड़े

लोक पुलिस पाने वाले राज्यों में पुलिस कार्य–निष्पादन की एक झलक

क्र. सं.	राज्य/के.शा. राज्य	जाँच के लिये कुल केसों की संख्या	जिन केसों में चार्जशीट दायर की गई	पुलिस द्वारा निपटारण किये गये केसों की संख्या	वर्ष के अंत में विचाराधीन केसों की संख्या
१.	गुजरात	१४७३६८	११९६३२	१३१४२१	१५९३२
२.	झारखण्ड	७४९८२	३४७६४	४८७९७	२७०८५
३.	दिल्ली	२०६०८७	२७५४१	६६८३९	१०६२४८
४.	बिहार	२२८७२२	४८५०९	१६०४८८	६८२३४
५.	मध्य प्रदेश	२९६५२०	२२६०९१	२९८३३९	२७०५९
६.	महाराष्ट्र	३८२४१३	१६२९६२	२३७००६	१४५४६६
७.	राजस्थान	२२७०३७	१०७४०६	२१०८३५	१६१९५
८.	हरियाणा	६१५७९	४४३९८	७१८४३	१४७३६
९.	हिमाचल प्रदेश	४७०८५	११०४७	१४२९३	२७९२
१०.	उत्तराखण्ड	११५०६	५५०४	९३४९	५७५७

सौजन्य: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट २०१४

क्या आप जानते हैं?

इस खंड के अंतर्गत इस बार ***लोक पुलिस*** द्वारा चयनित विषय 'पुलिस कार्य–निष्पादन' के अनुरूप विदेशों में अपनाये गये पुलिस के कार्य–निष्पादन सूचकों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस में कार्य-निष्पादन सूचक लाना क्यों आवश्यक है?

आज के समय में पुलिस के कार्यों का ऑकलन ठीक ढग से नहीं किया जाता है। बाहरी स्तर पर जनता पुलिस के काम से असंतुष्ट है और आंतरिक स्तर पर सभी स्तर के पुलिसकर्मियों में इस बात की कुण्ठा है कि कार्य–निष्पादन को मुख्य रूप से दर्ज केसों की संख्या और हल किये गये केसों की संख्या से मापा जाता है। यह कहना पर्याप्त है कि इसी कारण दर्ज केसों की संख्या वास्तविक संख्या से बहुत कम होती है।

संख्यात्मक ऑकलन से हटकर जनता की संतुष्टि, महिलाओं एंव अन्य संवेदनशील वर्गों में अधिक सुरक्षा का अहसास इसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा की लगातार होने वाली घटनाओं में कमी को कार्य–निष्पादन के ऑकलन का आधार बनाया जा सकता है। आज पुलिस के कार्य–निष्पादन को कैसे मापा जाता है; पुलिस एक संगठन के रूप में, पुलिस रैंक पर और थाना स्तर पर; व्यक्तिगत पुलिस अधिकारियों के लिए।

पुलिस प्रफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (पी.पी.आई.) या पुलिस कार्यनिष्पादन सूचक क्या कर सकते हैं?

यह एक सामान्य मानदण्ड निर्धारित करते हैं; प्राथमिकताएं तय करते हैं; लंबी अवधि के लिए योजना तैयार करने में सहायता करते हैं; पुलिस के साथ जनता की संतुष्टि मापने में सहायता करते हैं।

कुछ देशों में पुलिस के कार्यनिष्पादन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचक निर्धारित किये गये हैं जिनके पूर्ण होने के आधार पर कार्यनिष्पादन का आकलन किया जाता है। इनमें से कुछ देशों में उपयुक्त सूचकों को यहां ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इनमें से सबसे उपयुक्त सूचकों को स्थानीय स्तर पर पुलिस नेतृत्व द्वारा अपनाया जा सके।

१. उत्तरी आयरलैंड

उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड द्वारा कार्य–निष्पादन मैट्रिक्स को मॉनीटर करता है। बोर्ड की मुख्य ज़िम्मेदारी अपराध में पैटर्न और ट्रेंड को मॉनीटर करना, प्रधान कांस्टेबल के साथ मिलकर पुलिस के कार्य–निष्पादन के लिए टारगेट के विरुद्ध प्रगति को मॉनीटर करना, और पुलिस से जनता के संतुष्टि के स्तर को मापना है।

२००६-२००९ के बोर्ड की योजना के अंतर्गत छः डोमेन रखे गये हैं, इसे इंगलैंड और वेल्स में कार्य–निष्पादन मापने की प्रणाली के रूप में उपयोग किया जा सका है। इसमें सम्मिलित हैं :

- नागरिकों पर फोकस
- अपराधों को कम करना
- अपराधों की जांच
- जन सुरक्षा को प्रोत्साहित करना
- संसाधन का उपयोग और
- संगठनात्मक विकास

उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग सेवाओं (पी.एस.एन.आई.) के सामंजस्य से, बोर्ड सभी छः डोमेन से लक्ष्य और टारगेट निर्धारित करता है।

सूचक बनाने के लिए सूचना पी.एस.एन.आई. के राष्ट्रीय आँकड़े की शाखा से ली जाती है। उनके पास आँकडे जिला स्तर के अपराध विश्लेषकों से आते हैं। भेजे गये आँकड़ों में शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रकार के नियंत्रण रखे गये हैं। इन प्रोटॉकॉल्स का अनुपालन, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा डाटा ऑडिट द्वारा किया जाता है जिसमें अपराध रिपोर्टों का नमूना, हल केसों का नमूना और इसी प्रकार अन्य मामलों के लिए लिये जाते हैं और इसी प्रकार जिला के रिकॉर्ड के अनुसार चेक किये जाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि घटनाएं ठीक से श्रेणीबद्ध की गई थीं या नहीं। पुलिसिंग बोर्ड का वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय परिणाम देता है कि पिछले वर्ष के टारगेट को प्राप्त किया गया या नहीं। बोर्ड के वार्षिक रिपोर्ट में एक स्कोरकार्ड होता है जिसमें पुलिस के कार्य–निष्पादन के आधार पर प्रत्येक कार्य के बारे में पास या फ़ेल लिखा जाता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में देखा जा सकता है:–

वार्षिक पुलिसिंग योजना २००५/२००६ में टारगेट की प्राप्ति

टारगेट		कार्य–निष्पादन	टारगेट की प्राप्ति
१.१.१	२००५–०६ के लिए ७५% पीड़ित संतुष्टि दर प्राप्त करना (१)	पी.एस.एन.आई./ एन.आई.पी.बी. पीड़ित सर्वेप्रश्न१-प्रश्न३ २००५/२००६–८०%	प्राप्त
१.२.१	ऐसे लोगों की संख्या ५% घाईंट तक बढ़ाना जो सोचते हैं कि पुलिस अच्छा काम करती है। (२)	ओमनी बस सर्वेअप्रैल २००५–६३% सितंबर २००५–६०% (औसत–६२%)	आंशिक रूप से प्राप्त
१.३.१	ऐसे लोगों का प्रतिशत ५% घाईंट तक बढ़ाना जो सोचते हैं कि पुलिस लोगों के साथ समान व्यवहार करती है (३)	ओमनी बस सर्वेअप्रैल २००५–६६% सितंबर २००५–६४% ५–९ मिनट–२६.९%	प्राप्त नहीं किया
१.४.१	इमरजेंसी कॉल पर पुलिस रिसॉन्स के समय को मापने के लिए बेसलाईन की सीपिया करने की आर काम करना, बोर्ड के समक्ष तिमाही रिपोर्ट देना	५ मिनट के भीतर–३४.९%	प्राप्त

पुलिसिंग बोर्ड दो प्रकार की आवधिक सर्वे भी करती है। पिछले एक दशक से वर्ष में दो बार ओमनीबस सर्वे किया गया है जिसमें १००० घरों से रैंडम सैंपल लिया जाता है। इस सर्वे में पुलिस पर विश्वास और पुलिस के साथ किसी तत्कालीन अनुभव में संतुष्टि के बारे में पता किया जाता है। देश के दो बड़े धार्मिक समूहों – कैथेलिक और प्रोटेस्टेंट के जन प्रदर्शन के लिए उपलब्ध जवाबों से पुलिस द्वारा किसी प्रकार के धार्मिक अंतर का मुल्यांकन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से, बोर्ड ने पीड़ितों का सर्वे और संपर्क किया है। यह सर्वेक्षण रिस्पॉन्स समय में संतुष्टि, पुलिस स्टाफ़ के व्यवहार और पुलिस द्वारा फॉलो अप को मापते हैं। दोनों प्रकार के सर्वे के परिणाम केवल राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं और यह नहीं बताते कि ज़िला पुलिस कार्य–निष्पादन को कैसे देखा जाता है।

उत्तरी आयरलैंड में पुलिस के कार्य–निष्पादन को मॉनिटर करने की ज़िम्मेदारी उत्तरी आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड की है। *पुलिस (उत्तरी आयरलैंड) अधिनियम, २००० के* अंतर्गत इसके बारे में बोर्ड की निम्नलिखित ज़िम्मेदारियाँ हैं :

- निश्चित करना कि पुलिस समर्थ और प्रभावकारी है,
- पुलिस को उनके सामान्य कार्यों और *मानव अधिकार अधिनियम १९९८* के निष्पादन में मॉनीटर करना,
- स्वयं को आंतरिक शिकायत और अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में सूचित रखना,
- पुलिस और पुलिस सहायक स्टाफ की भर्ती में प्रचलन और पद्धतियों के बारे में स्वंय को सूचित रखना,
- स्वंय को इस बात से सूचित रखना कि पुलिस और पुलिस सहायक स्टाफ की सदस्यता में उत्तरी आयरलैंड के समुदायों की किस हद तक प्रतिनिधित्व है।

पुलिस के दायित्वों के निर्वहन को मापने की कसौटी तैयार की जाए!

२. दक्षिणी अफ्रिका

दक्षिण अफ्रीका में नये संविधान के अंतर्गत पुलिस पर निगरानी रखने पर अत्यधिक बल दिया गया है। दक्षिणी अफ्रीकन पुलिस सेवा (एस.ए.पी.एस.) को प्रांतीय स्तर पर राष्ट्रीय संसद और मंत्रीमंडल, विधायकों और कार्यकारियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सचिवालय, प्रांतीय सचिवालय, और स्थानीय समुदायिक पुलिस फोरमों द्वारा सुरक्षा और संरक्षण के लिए निगरानी भी प्रदान की जाती है। पुलिस दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार की घटनाओं की जांच एक स्वतंत्र शिकायत निदेशालय करता है।

एस.ए.पी.एस. को सभी सरकारी निगरानी करने वाले निकायों को एक वार्षिक रिपोर्ट देना होता है जो विभागों का पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के विरुद्ध (प्रशासन, प्रत्यक्ष पुलिसिंग, जासूसी सेवा, अपराधों का सुराग और सुरक्षा एंव संरक्षण सेवाएं) विश्लेषण करते हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एस.ए.पी.एस. ने कार्य–निष्पादन सूचक को विकसित करने में शामिल है जिसमें संपर्क सर्वेक्षण और पुलिस रिकॉर्डस् के आँकड़े भी सम्मिलित हैं।

एस.ए.पी.एस., व्यक्तिगत थानों के लिए कार्य–निष्पादन प्रबंधन चार्ट भी विकसित कर रहा है। एक संयोजित EUPOLSA इंडेक्स में पुलिस सेवा के चार आयाम सम्मिलित होते हैं :

- ऑपरेशन संबंधी (जांच करने वाली शिकायतें, इमरजेंसी कॉल्स, अपराध या कथित अपराध, और दोषियों को न्याय दिलाना)
- सूचना (कम्प्यूटर डाटाबेस से अपराधों की सूचना)
- संसाधन (कर्मचारियों, गाड़ियों, व्यवासायिक व्यवहार, अनुपस्थिति का आवंटन)
- ग्राहक अनुकूलन (ग्राहक की जरूरतों या समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता)

मुख्य विभागीय कार्यक्रम और उप कार्यक्रम	मापने योग्य लक्ष्य
कार्यक्रम १ - प्रशासन •मंत्री •उप मंत्री •कॉरपोरेट सेवाएं •सम्पत्ती प्रबंधन	विभागीय नीति विकसित करें और विभाग का प्रबंधन करें जिसमें प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना भी शामिल है।
कार्यक्रम २ - प्रत्यक्ष सेवा •अपराधों की जांच •बॉडर लाईन सुरक्षा •विशेषीकृत हस्तक्षेप	सभी अपराधों को अग्रसक्रिय और प्रतिक्रियाशील पुलिसिंग सेवा उपलब्ध कराके प्राथमिक अपराध दरों को बढ़ने से रोकें।
कार्यक्रम ३ - जासूसी सेवाएं •अपराधों की जांच •आपराधिक रिकॉर्ड केन्द्र •फॉरेंसिक साईंस लैबोरेटरी	अपराधों के सफल अभियोजन में–जांच द्वारा, सबूत एकत्रित करके तथा उसके मूल्यांकन द्वारा और इस प्रकार अपराधों को हल करने के दर में कमी लाने में योगदान करें।
कार्यक्रम ४ - अपराधों की •गुप्त सूचना अपराधों के गुप्त •सूचना संबंधी ऑपरेशन गुप्त •सूचना और सूचना प्रबंधन	अपराधों की प्रभावहीन करने के लिए गुप्त सूचनाओं को सभी जगह से एकत्रित करने और इनके मूल्यांकन करने में योगदान करें जो एक कार्यवाही योग्य पुलिसिंग कार्यकलाप की शुरुआत करेगी।
कार्यक्रम ५ - सुरक्षा और •संरक्षण सेवाएं •वी.आई.पी. सुरक्षा सेवाएं •स्थिर और अस्थिर सुरक्षा •बंदरगाह प्रवेश की सुरक्षा •रेलवे पुलिस •सरकारी सुरक्षा निवामक	विदेशी और स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करके तथा नीतिगत लाभों को संरक्षित करने के द्वारा सुरक्षा के उल्लंघन को कम करना।

सभी थानों के कार्य–निष्पादन की तुलना करने के बजाय, इस व्यवस्था में सभी थानों की तुलना उन्हीं के पहले कार्य–निष्पादन, वरिष्ठतम थाने से रिपोर्ट दर्ज होने की अवधि के दौरान उसमें सुधार के स्तर के अनुसार की जाती है। इसका परिणाम एक आसानी से पढ़ा जाने वाला रिपोर्ट कार्ड है जिसमें विभिन्न थानों से संबंधित सुधार का तत्काल विश्लेषण मौजूद होता है।

हालांकि, एस.ए.पी.एस. द्वारा बनाये गये कार्य–निष्पादन सूचक दुनिया के सबसे प्रगतिशील सूचकों में से एक हैं, दक्षिण अफ्रीकी अनुभव ने पुलिस के कार्य–निष्पादन को मापने के किसी प्रयत्न में आने वाली कठिनाईयों पर भी फोकस किया है। एस.ए.पी.एस. के कार्य–निष्पादन सूचकों के उपयोग में तीन प्रमुख कठिनाईयां आ सकती हैं :–

- क्योंकि सूचक लगातार बेहतर बनाये जा रहे हैं, जिस प्रकार व्यक्तिगत आकलन सालों–साल लाये गये परिवर्तन को बना रहे हैं, वर्षों के अंतराल में तुलन करना कठिन है।
- कुछ सूचकों के लिए प्रक्रियाएं ठीक से बताई नहीं गई हैं, इसलिए यह निश्चित नहीं कि कौन से काम को मापा जा रहा है।
- आँकड़ों के संयोजन से संबंधित स्पष्ट कठिनाईयां है : थानों द्वारा कुछ आँकड़े समय के अनुसार ठीक से अप्लोड नहीं किये जाते और कुछ ग़लत होते हैं।

दक्षिणी अफ्रीका के सुरक्षा और संरक्षण विभाग ने पुलिस सेवा को ५ विभागीय कार्यक्रमों में विभाजित किया है और प्रत्येक में मापने योग्य उद्देश्यों की पहचान भी की गई है। इस प्रकार, प्रत्येक को आशा है कि वह पूरे प्रोग्राम को समग्र रूप से माप सकेगा और यह बतला सकेगा कि पुलिस

का कौन सा अंग सफ़ल हो रहा है और किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। निम्नलिखित कार्य–निष्पादन चार्ट समग्र ढ़ाँचे पर प्रकाश डालता है जिस पर दक्षिणी अफ्रीकन पुलिस का मूल्यांकन किया जाता है।

यह पाँच कार्यक्रम भी स्वयं कई उप–कार्यक्रमों में विभाजित हैं जिनमें से सभी के अपने उपाय/सूचक और लक्ष्य हैं। प्रत्येक वर्ष, पुलिस सेवा के वास्तविक कार्य–निष्पादन की तुलना कार्य–निष्पादन चार्ट में घोषित टारगेट से किया जाता है। इसके परिणामों को दक्षिणी अफ्रिकी पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जाता है। लक्ष्य (टारगेट), सूचक और कार्यक्रमों को प्रत्येक वर्ष समायोजित या परिवर्तित किया जाता है।

– नवाज़ कोतवाल

आपके विचार

संपादिका जी,

नमस्कार!

लोक पुलिस पत्रिका के अगस्त का अंक पढने का अवसर मिला। इस अंक में महिला पुलिस के बल में प्रतिनिधित्व के विषय में सी.एच.आर.आई. की शोध रिपोर्ट 'रफ़ रोड टू इक्वालिटि' की सिफ़ारिशें ही यदि सरकारों और पुलिस नेतृत्व द्वारा अमल में लाई जाएं तो हम जैसी महिला पुलिसकर्मियों की समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। हमें नित दिन छोटी–छोटी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और कई बार मन में हीन भावना उत्पन्न होती है जोकि अधिकतर सहकर्मियों के बुरे बर्ताव और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण होता है। जब हम बल में आए थे तो कुछ अच्छा करने के लिए आए थे– अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए लेकिन, जब हमें स्वंय को भेद–भाव सहना पड़ता है तो यह समझ में नहीं आता कि उस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कैसे समझाएं कि हमें अवसर देकर देखें हम भी अच्छी जांच कर सकते हैं।

लेकिन, जब तक सब कुछ पक्षपात रहित नहीं होता शायद हमें दुगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैडम विमला मेहरा के साक्षात्कार को पढ़कर बहुत कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। यदि आप महिला पुलिस अधिकारियों के और अधिक साक्षात्कार प्रस्तुत करें तो महिलाओं को प्रोत्साहन और सीख मिलेगी।

धन्यवाद,
महिला ए.एस.आई.
जोधपुर, राजस्थान।

महोदया,

सादर प्रणाम!

अगस्त की पत्रिका में मुझे साक्षात्कार और महिलाओं से संबंधित आँकड़ों की प्रस्तुति लाभकारी मालूम हुई। इसमें यह देखना महत्वपूर्ण है कि तेज़ाब से महिलाओं पर हमला करने वालों की संख्या कितनी अधिक है। मेरे विचार में कानून में संशोधन के बाद तेजाब से हमला करने को अलग अपराध बतलाये जाने के कारण ही ऐसे प्रहारकर्ताओं के विरुद्ध केस दर्ज हुए हैं। हम पुलिसकर्मियों के लिए अपराधों को अलग तरह से परिभाषित करने से आरोपी को पकड़ने में सहजता हो गई है।

कुल अंक सराहनीय है।

कांस्टेबल, करनाल
सदस्य, हरियाणा पुलिस।

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

पुलिस के कार्य-निष्पादन पर नज़र रखने के लिए ऐप

पुलिस के कार्य–निष्पादनों को मापने के लिए क्या पद्धति अपनाई जानी चाहिए इसी विचार को शक्ल देने के लिए भारत में एक पहल हैदराबाद पुलिस की ओर से की गई थी।

पुलिस विभाग के इतिहास में पहली बार हैदराबाद पुलिस ने जून के महीने में आंतरिक उद्देश्य से एक मोबाईल ऐप – पुलिस वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। इस ऐप का उपयोग करके पुलिसकर्मी रोज़ाना मोबाईल से अपने द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा अप्लोड कर सकते हैं।

ऐप लॉन्च करने के बाद, राम कृष्ण राव, डी.जी., सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने कहा कि मोबाईल ऐप द्वारा पुलिस कर्मचारी सभी रिपोर्टों को अपने मोबाईल पर ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे।

source: http://hyderabadpolice.cgg.gov.in/PWDMS/

पुलिस वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम - कार्य-निष्पादन के बहुआयामी सूचक तय हों!

हैदराबाद पुलिस कमिश्नर एम. महिन्द्र रेड्डी ने भी कहा था कि शहर की पुलिस ने विभाग के 'नागरिक मैत्रीपूर्ण प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग' को आगे बढ़ाने के लिए नागरिकों की मदद करने के लिए कई ऐप लॉन्च किये गये हैं।

रेड्डी ने यह भी कहा था, "पुलिस वर्कफोर्स मैनेजमेंट सिस्टम ऐप, देश में अपनी तरह का पहला ऐसा ऐप है। यह पुलिसकर्मियों की, नागरिकों के लिए मैत्रीपूर्ण प्रतिक्रियात्मक पुलिसिंग के मकसद को प्राप्त करने में मदद करेगा। ऐप के उद्देश्य हैं – बल के दैनिक कार्यों का रिपोर्ट देना, बल का अवकाश प्रबंधन, विभाग के आदेशों का प्रबंधन, बल का हस्तांतरण प्रबंधन, दैनिक कार्यों की रिपोर्टिंग के लिए एम आई एस और डैशबोर्ड मोबाईल ऐप सपोर्ट, सेंट्रल वर्कफोर्स सर्विस डाटाबेस और पुलिस बिज़नेस प्रोसेस ऑटोमेशन।" यह ऐप विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर पुलिसकर्मियों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होगा।

जब हैदराबाद पुलिस और राजस्थान पुलिस, दोनों ने ही पुलिस के कार्यों को मापने के लिए एक सुनियोजित पद्धति विकसित कर ली है तो इसे अति शीघ्र अन्य राज्यों एंव केन्द्र शासित राज्यों में भी बांटना चाहिए ताकि वे या तो स्थानीय स्तर पर इसकी उपयुक्तता का परीक्षण कर सकें या फिर इसे नमूना मानकर अपने लिए भी उचित कार्य–निष्पादन सूचक तैयार कर सकें।

(सौजन्य : न्यू इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, २३ जून २०१५)

कार्यनिष्पादन मापक व्यवस्था की समीक्षा

गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अगस्त में राजस्थान पुलिस के स्मार्ट पुलिस पहल के अंतर्गत कार्यनिष्पादन मापक व्यवस्था (प्रफॉरमेंस मेज़रमेंट सिस्टम या पी.एम.एस) की समीक्षा की थी। पी.एम.एस. मासिक स्तर पर सभी थानों, सर्कल अधिकारियों, राज्य भर के ज़िलों के एस.पी. के कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक ऑनलाईन ऐपलिकेशन है। निदेशक, अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राजस्थान श्री कपिल गर्ग ने केन्द्रीय गृह सचिव श्री एल.सी. गोयल, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बी.एस. बस्सी, डी.जी., बी.पी.आर. एण्ड डी. श्री वसन एंव गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष इसकी विस्तृत प्रस्तुति भी की थी।

इस प्रस्तुति में बताया गया था कि १४ पैमानों में कार्य–निष्पादन के लिए एक स्कोरिंग मैट्रिक्स भी बनाया गया है जिसमें नगेटिव और पॉज़िटिव अंक दिये जाएंगे। एस.सी.आर.बी. ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थानों की प्रभावपूर्ण निगरानी के लिए वेब पर आधारित प्रस्तावित प्रफॉर्मेंस मेज़रमेंट सिस्टम विकसित किया है। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस सिस्टम की सराहना करते हुए इसे सभी राज्यों और केन्द्र शासित राज्यों में अपनाये जाने के लिए भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि व्यक्तिगत कार्य–निष्पादन का लेखा परीक्षण और लोक संवेदन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार पी.एम.एस. को अन्य राज्यों एंव केन्द्र शासित राज्यों में अपनाये जाने के लिए भेजने का निर्देश दिया था, उसी प्रकार अन्य स्थानों पर पुलिसिंग में हो रहे अच्छे प्रयोगों और प्रचलनों की जांच करके अपनाने का सुझाव दिया था।

हालांकि, इस ऐप में किस तरह से रिपोर्ट लिखने का निर्देश दिया गया है या फिर इस ऐप से संबंधित लिंक राजस्थान पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर उपलब्ध नहीं है लेकिन, यदि इसके बारे में प्रस्तुति में बतलाए गये १४ पैमानों पर रिपोर्ट लिखना है और उसके लिए पॉज़िटिव और नेगेटिव अंक भी दिये जाते हैं तो इस ऐप्लीकेशन को न केवल गृह मंत्री के निर्देश अनुसार अन्य स्थानों की पुलिस को भेजना चाहिए बल्कि इसे स्वंय राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर भी डालना चाहिए ताकि कोई भी इस ऐप्लीकेशन के नमूने को देख सके और सुझाव भी दे सके।

(सौजन्य : पी.आई.बी. डॉट एन.आई. सी.डॉट.इन, २४ अगस्त २०१५)

चेन्नई उच्च न्यायालय पुलिस सेवा से संतुष्ट

मद्रास उच्च न्यायालय को कुछ समय पहले वकीलों द्वारा एक अवरोधपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब वे यह मांग कर रहे थे कि अदालत अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सेंट्रल इंडसट्रियल सेक्यूरिटी फोर्स (सी.आई.एस.एफ.) या अन्य इसी प्रकार के किसी दल को सौंप दे। लेकिन, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सी.एस. कर्णन ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह कहा है कि वे वह उच्च न्यायालय में नियुक्त पुलिसकर्मियों के कार्य–निष्पादन से संतुष्ट हैं और यह कि "इनकी सेवा में किसी प्रकार की, कोई भी कमी नहीं है जैसा कि कुछ महीनों पहले रिपोर्ट किया गया था। – मेरे विचार में तमिलनाडु पुलिस संस्थापना, जो कि हमेशा सतर्क रहती है, को अपना काम करने की स्वतंत्रा, बगैर किसी विपरीत टिप्पणी या अलोचना के दी जानी चाहिए इससे बल का केवल मनोबल ही गिरेगा और इससे हमारी सुरक्षा ही ख़तरे में पड़ सकती है।"

पुलिस कार्य-प्रदर्शन उच्चतम न्यायालय की परीक्षा में पास है!

पहले उच्च न्यायालय ने भी सुरक्षा केन्द्रीय एजेंसी द्वारा प्रदान करने की सलाह दी थी जब मदुरई के कुछ वकीलों ने १४ सितंबर को यह मांग करके हंगामा किया था कि अदालत की भाषा तमिल घोषित कर दी जाए। लेकिन, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को इस बारे में यह जानकारी दी कि मदुरई खण्डपीठ को हाई सेक्यूरिटी ज़ोन घोषित कर दिया गया है।

संक्षेप में, यह समझना पर्याप्त है कि राज्य पुलिस की तत्परता और दायित्वों के उचित रूप से निर्वहन से संतुष्ट होकर किसी उच्च न्यायालय ने सरकार से उस बल को सक्षम मानते हुए अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपने की सिफ़ारिश की है। यहां, राज्य पुलिस द्वारा अदालत परिसर की सुरक्षा की ज़िम्मेदारियों के निर्वहन में उठाये गये प्रत्येक क़दम को लिखकर दूसरे राज्यों में अदालतों की सुरक्षा के अनुकरण के लिए भेजा जा सकता है। अदालत द्वारा स्वंय सुरक्षा प्रबंधन से संतुष्ट होना, बेहतरीन और सफ़ल कार्य–निष्पादन सूचक भी है।

(सौजन्य : इंडिया टुडे डॉट इंडिया टुडे डॉट इन. एच.टी.एम.एल, २४ सितंबर २०१५)

गैरकानूनी कार्यों को रोकने के लिए कार्य-निष्पादन सूचक

मुंबई पुलिस ने एक कथित लड़ते हुए युवक और युवती को थाने में लाकर उनकी बुरी तरह पिटाई की और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस की चौतरफा निंदा हुई। इस वीडीयो में युवती दया की गुहार करते हुये दिखाई दे रही है, वह लड़की लगातार कह रही है कि उसे जाने दिया जाए लेकिन पूरी लगन से पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर उस युवती के आग्रह का कोई प्रभाव होता नहीं दिख रहा है।

हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों शराब पीकर सड़क पर झगड़ा कर रहे थे इसलिए उन्हें थाने लाया गया था। पुलिस के दावा है कि जब उन्हें पास के थाने लाया गया तो वे एक दूसरे को आलिंगन करने लगे।

ए.सी.पी. मुंबई पुलिस दीलिप रूपवते के अनुसार, "हमने देखा कि वे नशे में थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे, वह भी थाने के सामने। हमने महसूस किया कि कहीं शीलभंग करने का केस न हो जाए और हमने जोड़े को अलग करने का प्रयत्न किया। पुलिस ने उनकी पिटाई नहीं की और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं दर्ज किया है।"

थाने के ही एक अन्य पुलिसकर्मी ने बताया कि वह वीडियो पुलिस की छवि को खराब करने के लिए रिकॉर्ड किया गया था। जबकि, इस जोड़े को रात भर थाने में ही रखा गया और सुबह उनके माता पिता के साथ उन्हें घर भेज दिया गया।

महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में इंक्वायरी का आदेश दे दिया है।

अक्टूबर में महाराष्ट्र पुलिस, दो और अलग–अलग घटनाओं में अपनी शक्तियों का दुरूप्योग करती पाई गई थी, पहले मामले में – दो मुस्लिम युवकों को पाकिस्तानी आतंकवादी कह कर थाने में बंद करके बांद्रा पुलिस ने बुरी तरह पिटाई की थी और दूसरे मामले में गणेश उत्सव के अवसर पर एक लड़की को केवल इसलिए पुलिस ने पीटा था कि वह वी.आई.पी. के लिय नियत रास्ते से दर्शन के लिए घुस रही थी।

अब पुलिस के ऐसे महान कार्यों को, उनकी वैद्यता और उनके कथन की सच्चाई को मापने के लिए किस प्रकार के कार्य–निष्पादन सूचकों को निर्धारित किया जाना चाहिए? निःसंदेह पुलिस कई बार ऐसी स्थिति में पाई जाती है जो अवैधानिक है– कई बार पुलिस पर ऐसा करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और बाद में उन्हें दोबारा पुलिस सेवा में शामिल कर लिया जाता है।

इसलिए, जो लोग ऐसे अवैधानिक गतिविधियो में लिप्त पाये जाते हैं, पुलिस नेतृत्व द्वारा उनके साथ क्या किया जाना चाहिए आदि विषयों पर भी विस्तृत और स्पष्ट कार्य पद्धति निर्धारित की जानी चाहिए ताकि वे पुनः कानून के दायरे से यदि बाहर निकलने का भी प्रयत्न करें तो उसका पता नेतृत्व को हो जाए।

(सौजन्य : एन.डी.टी.वी. डॉट कॉम, ४ नवंबर २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली–११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००० फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org